07/7/15 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वादी

वाद वादी के स्वीकार किया जाता है

विरुद्ध निर्णय व डिक्री लिखा जाकर

पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली

फैसला सुनाया गया नम्बर से कम हो पत्रावली

जिला लेखागार में शामिल हो

सहायक [illegible] (का०द०)
मुण्डावर ([illegible]-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
278 / 2024	03.12.2024	07.07.2025

उनवान

1 रेशमी देवी पत्नी मीरसिंह

2 चरणसिंह पुत्र मीरसिंह

3 मनीषा कुमारी पुत्री मीरसिंह

4 रेखा कुमारी पुत्री मीरसिंह जातियान जाट निवासीयान टेहडका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0।

5 रिंकू पुत्र मीरसिंह जाति जाट निवासी टेहडका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: असल अप्रार्थी / प्रतिवादी

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07.07.2025

1. वादी का सारतः वाद पत्र रहा कि :–

   1. यह है कि आराजी हाल ख0न 614 रकबा 0.01 हैक्0, 615 रकबा 1.12 है०, वाके ग्राम टेहडका तह० मुण्डावर में स्थित है। जिस आराजी में हम वादीगण का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकोड जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
   2. यह है कि वर्तमान सेटलमेंट सम्वत 2071 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख0न0 523 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा से हाल ख0न0 614 रकबा 0.01 हैक्0, 615 रकबा 1.12 हैवण. पैमूद किया गया है।
   3. यह है कि उपरोक्त आसजी मिन वादीगण के पति / पिता की खरीदशुद्धा कब्जेकाशा की आराजी रही है, जो आराजी मिन वादीगण के पति / पिता गीरसिंह पुत्र बैयाराग ने जरियें रजिस्टैंड बैगनागा खरीद की थी तथा बैयनागा के आधार पर इन्तकाल स० 175 सही दर्ज व मंजूर हुआ है लेकिन राजस्व

सहायक कलक्टर (का०द्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कर्मचारियों द्वारा इन्तकाल के अमल को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय मिन वादीगण के पति / पिता का नाम गीरसिंह पुत्र बैयाराम के स्थान पर भीमसिंह पुत्र वैथनागा दर्ज कर दिया, जो अंकन गलत दर्ज किया गया था तथा हम वादीगण का पिता/पति अपने कब्जेकाश्त की आराजी अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहा है तथा गिन वादीगण के पति/पिता को राजस्व रिकॉड के गलत इन्द्राज की जानकारी नही रही है तथा गिन वादीगण के पतिधपिता के फौत होने पर आराजी जरियें विरास्त हग वादीगण को प्राप्त हुयी है तथा मिन वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है, तथा आराजी बाबत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है। इसलिए सहखातेदारान को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

4. यह है कि विवादित आराजी हम वादीगण को अपने पति/पिता मीरसिंह पुत्र बैयाराम से जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है तथा हम वादीगण के पति/पिता के नाम अंकन राजस्व रिकोड में दर्ज हो रहा है, जो अंकन गलत है तथा गिन वादीगण के पति /पिता फौत हो चुका है, तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादीगण के पति/पिता के नाम इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिर्कोड में अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मीरसिंह के स्थान पर भीमसिंह दर्ज कर दिया जिस गलत अंकन के कारण हम वादीगण के नाग विरास्त इन्तकाल दर्ज नही हो पा रहा है, तथा मिन वादीगण को भारी नुकसान हो रहा है तथा मिन वादीगण आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है। इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दुरूस्त है। जिसे दुरूस्त किया जावे। इसलिए दावा इश्तकरारहक गय दूरुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

5. यह है कि विवादित आराजी मिन वादीगण के पति/पित्ता की खरीदशुद्धा आराजी रही है, जो आराजी हम वादीगण को जरिये विरास्त प्राप्त हुयी है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा हम वादीगण के पति / पिता के नाम का अंकन इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकॉड में दर्ज करते समय खिलाफ कानून व खिलाफ मौका हम वादीगण के पति/पिता का नाम मीरसिंह के स्थान पर भीमसिंह दर्ज कर दिया। जबकी मिन वादीगण के पत्ति/पिता के सगस्त दस्तावेजात सशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व पैशन कार्ड, जन आधार कार्ड में मीरसिंह पुत्र बैयाराम ही दर्ज है मात्र उक्त राजस्व रिर्कोड में ही मिन वादीगण के पति/पिता का नाम भीमसिंह दर्ज है, जो गलत है, इसलिए न्यायहित में गिन वादीगण के पति/पिता का नाम राजस्व रिर्कोड में दर्ज भीमसिंह के अंकन को हजफ कर, उसके स्थान पर मीरसिंह दर्ज किया किया जावे ।

6. यह है कि आराजी मुतनाजा में वादीगण के पति /पिता के नाम का अंकन गलत इन्द्राज हो जाने से वादीगण के अधिकारों पर कुंठाराघात हो रहा है तथा वादीगण अपनी आराजी में विरास्त इन्तकाल खुलवाने से महरूम हो रहे है।

7. यह है कि दिनांक 10/11/2024 को मिन वादीगण अपने मृतक पति/पिता की विसस्त का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया

सहायक कलक्टर (का०द्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तथा राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की. तो मिन वादीगण को राजस्व रिकॉड में मिन वादीगण के पति/पिता का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर राजस्व रिकॉड दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रतिवादी ने राजस्व रिकॉड दुरुस्त करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम अदालत से नाम दुरुस्त करावो। बस यही वाद हेतु बिनायंदावी व बिनायमुखासमत पैदा होकर दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिकॉड पेश किया जाना लाजिगी आया है।

8. अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्त इस अमर की पारित की जाकर आराजी आराजी हाल ख०न 614 रकबा 0.01 हैव0, 615 रकवा 1.12 हैव0, वाके ग्राम टेहडका तह०

मुण्डावर में दर्ज मिन वादीगंण के पति / पिता भीमसिंह पुत्र बैयाराम को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर मीरसिंह पुत्र बैयाराम दर्ज करने के आदेश दिया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जावे।

2. दावा दिनांक 03.12.2024 को दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया कि जमाबन्दी सम्वत 2043 में मीरसिंह पुत्र बैया जाति जाट खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2048 में भीम सिंह पुत्र बैया जाति जाट निवासी खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2071 (आधार वर्ष) में भीमसिंह पुत्र बैया जाति जाट खातेदार दर्ज है। अतः खातेदार भीमसिंह पुत्र बैयाराम के स्थान पर मीरसिंह पुत्र बैयाराम शुद्व किया जाना उचित है।

3. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 169, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2056 पेश कर प्रदर्शित कराये गये। मौखिक साक्ष्य चरण सिंह पी.डब्ल्यू–1 के शपथ–पत्र पेश किए गए।

4. बहस वकीलवादी सुनी गई।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकीलवादी पर मनन किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है –

आराजी हाल ख0न 614 रकबा 0.01 हैक0, 615 रकबा 1.12 है०, वाके ग्राम टेहडका तह० मुण्डावर में वादीगण के पति/पिता भीमसिंह पुत्र बैयाराम दर्ज है। तहसीलदार मुण्डावर ने खातेदार भीमसिंह पुत्र बैयाराम के स्थान पर मीरसिंह पुत्र बैयाराम शुद्व किया जाना उचित है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने योग्य पाता है। परिणामतः वादीगण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>–: आदेश :–</u>

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित आराजी हाल ख०न 614 रकबा 0.01 है0, 615 रकवा 1.12 है0, वाके ग्राम

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

टैहड़का तह0 मुण्डावर में हो रहे वादीगण के पति/पिता भीमसिंह पुत्र बैगराम को कलमजद किया जाकर उसके स्थान पर भीरसिंह पुत्र बैगाराम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलेक्टर
मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या 278/2024

रजू दिनांक 03.12.2024

पर्चा डिक्री दिनांक 07.07.2025

उनवान

1 रेशमी देवी पत्नी मीरसिंह
2 चरणसिंह पुत्र मीरसिंह
3 मनीषा कुमारी पुत्री मीरसिंह
4 रेखा कुमारी पुत्री मीरसिंह जातियान जाट निवासीयान टेहडका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0।
5 रिंकू पुत्र मीरसिंह जाति जाट निवासी टेहडका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0।

प्रार्थी/वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: असल अप्रार्थी/प्रतिवादी

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

–: पर्चा डिक्री :–

दिनांक :– 01.07.2025

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक चौधरी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.07.2025 को सुरेश कुमार बलाई सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

विवादित आराजी हाल ख० न 614 रकबा 0.01 है0, 615 रकवा 1.12 है0, वाके ग्राम टेहडका तह0 मुण्डावर में हो रहे वादीगण के पति/पिता भीमसिंह पुत्र बैयराम को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर मीरसिंह पुत्र बैयाराम राजस्व

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 07.07..2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा